रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032026-271247
CG-DL-E-24032026-271247

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1468] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2026/चैत्र 3, 1948
No. 1468] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2026/CHAITRA 3, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2026

का.आ. 1533(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसमें इसके पश्चात् "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46ए) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा "श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद (पैन:AAAJS9337G)" (इसमें इसके पश्चात् जिसे "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित) जोकि उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2023 (यूपी अधिनियम संख्या 2023 का 23) द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए गठित एक निकाय है, को उक्त खंड के प्रयोजन के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46ए) के खंड (क) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक प्रयोजनों के साथ उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2023 (यूपी अधिनियम संख्या 2023 का 23) के अंतर्गत गठित एक निकाय बना रहे।

[अधिसूचना सं. 26/2026/फा. सं. 300195/36/2025-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव (सीबीडीटी/आयकर विभाग के समक्ष फाइल प्रस्तुत किए जाने के वर्ष से) से लागू करने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2026

S.O. 1533(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as "the Income-tax Act"), the Central Government hereby notifies the " Shree Ayodhya Jee Teerth Vikas Parishad (PAN: AAAJS9337G)" (hereinafter referred to as "the assessee"), a body constituted by the Uttar Pradesh Shree Ayodhya Jee Teerth Vikas Parishad Act, 2023 (U.P. Act No. 23 of 2023), for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2025-26, subject to the condition that the assessee continues to be a body constituted by the Uttar Pradesh Shree Ayodhya Jee Teerth Vikas Parishad Act, 2023 (U.P. Act No. 23 of 2023), with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 26/2026/F. No. 300195/36/2025-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect (from the year of filing of application before CBDT/Income Tax Department) to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA